



2026:AHC:57386-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9954 वर्ष 2026

मैसर्स एलएनबीएस इंफ्राटेक एलएलपी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: देवांश मिश्रा, योगेश कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 40

माननीय सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधांशु चौहान

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता श्री देवांश मिश्रा को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा पारित दिनांक 17.11.2025 के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत रिट याचिका दायर की है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2018 के प्रावधानों और दिनांक 12.02.2026 के आदेश के तहत 72,51,328/- रुपये की देयता से पीड़ित किया गया है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया है।
3. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को 11.05.2025 से 10.05.2028 तक की अवधि के लिए रेत पत्थर और बोल्टर के भंडारण के लिए लाइसेंस दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 15.10.2025 की जांच के अनुसरण में दिनांक 16.10.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने बलुआ पत्थर (गिट्टी) का अतिरिक्त भंडारण किया था, जिसे बिना किसी पारगमन पास के ले जाया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12.11.2025 के पत्र के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.10.2025 की एक प्रति मांगी थी और इसे याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था।

4. इस बीच चूंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में ओटीपी का निर्माण 03.11.2025 को रात लगभग 8:30 बजे रोक दिया गया था, याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.11.2025 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ता को बलुआ पत्थर (गिट्टी) की बिक्री और खरीद करने से नहीं रोका जाना चाहिए और इस संबंध में ओटीपी का उत्पादन बंद नहीं किया जाना चाहिए। उक्त पत्र के समर्थन में याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता इस उद्देश्य के लिए विरोध के तहत 18,12,832/- रुपये की राशि जमा करने को तैयार था, लेकिन साथ ही याचिकाकर्ता मामले के गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही का विरोध करना चाहता था और जमा कार्यवाही में पारित किए जाने वाले आदेश और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के अधीन होगा।

5. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जमा की गई उपरोक्त राशि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ओटीपी उत्पन्न किया गया था और याचिकाकर्ता उपरोक्त लाइसेंस के अनुसरण में अपना व्यवसाय करने में सक्षम था।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि इसके बाद 14.11.2025 को याचिकाकर्ता ने 16.10.2025 के कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब दायर किया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने निरीक्षण करने के तरीके के संबंध में आपत्ति जताई थी और याचिकाकर्ता द्वारा कानूनी रूप से ले जाए गए खनिज से अधिक किसी भी खनिज को संग्रहीत करने के अपने दायित्व से भी इनकार किया था।

7. उपरोक्त परिस्थितियों में यह कहा जाता है कि प्रतिपक्षी संख्या-4 ने याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 14.11.2025 के अपने विस्तृत उत्तर में उठाए गए तर्क पर विचार किए बिना दिनांक 17.11.2025 का आक्षेपित आदेश पारित किया है और गलती से दिनांक 13.11.2025 के पत्र को याचिकाकर्ता की ओर से दायित्व की स्वीकृति के रूप में माना है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आगे यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील में प्रतिपक्षी संख्या-3 ने भी याचिकाकर्ता द्वारा अपनी अपील में उठाए गए आधारों पर विचार नहीं किया है और केवल प्रतिपक्षी संख्या-4 के निष्कर्षों की पुष्टि की है, जिसमें दिनांक 13.11.2019 के पत्र को दिनांक 14.11.2025 के उत्तर के बजाय याचिकाकर्ता के उत्तर के रूप में माना गया है।

9. स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में उस पर अपने दायित्व को लागू करने की मांग की है, तो याचिकाकर्ता के लिए वर्तमान कार्यवाही में अन्यथा आरोप लगाने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए, यह जोरदार तर्क दिया जाता है कि प्रस्तुत रिट याचिका योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमने मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया है और याचिकाकर्ता के दिनांक 13.11.2025 के पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने केवल एक अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 16.10.2025 के कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करने से पहले ही, जिसमें याचिकाकर्ता को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, याचिकाकर्ता के ओटीपी का उत्पादन 03.11.2025 को रात 8:30 बजे रोक दिया गया था। पत्र के समर्थन में याचिकाकर्ता ने 13.11.2025 प्रस्तर-3 और 4 को एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें इस प्रकार है:

"दफा 3- यह कि एक पक्षीय कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.10.2025 द्वारा भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र सेउपखनिज का क्रय विक्रय प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस केविरुद्ध प्रार्थी उपर्युक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत करतेहुयेमामलेको गुण दोष के आधार पर Contest करेगा। जिसका निस्तारण सक्षम अधिकारी अपीलीय अधिकारी एवं मा० न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर किया जायेगा।

दफा 4- यह कि भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र सेउपखनिज के क्रय विक्रय प्रतिबन्ध को वापस लेतेहुयेउपखनिज का क्रय विक्रय की अनुमित हेतु प्रार्थी ने मु० सं-18,12,832/-रु० अठ्ठारह लाख बारह हजार आठ सौ बत्तीस रुपया आर०टी०जी०एस० के माध्यम से खनिज विभाग के पक्ष मेंजमा कर रहा है। जो मामलेके सक्षम अधिकारी अपीलीय अधिकारी और माननीय न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय के अधीन रहगा।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. इसलिए, हलफनामे के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को गौण खनिजों की बिक्री और खरीद से रोक दिया गया था और याचिकाकर्ता कारण बताओ नोटिस का उचित जवाब दाखिल करने के बाद गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही लड़ना चाहता था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने विरोध के तहत 18,12,832/- रुपये की राशि जमा की थी, जो कार्यवाही के परिणाम और सक्षम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अधीन होती। इसलिए, यह संदेह से परे है कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राशि को विरोध के तहत जमा किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओटीपी का उत्पादन बंद न हो और याचिकाकर्ता अपना व्यवसाय जारी रख सके।

12. इसके अलावा, अभिलेखों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.11.2025 को एक विस्तृत उत्तर दायर किया था, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-9 के रूप में संलग्न किया गया था और इसमें प्रतिपक्षी संख्या-4 के कार्यालय में प्राप्त होने का समर्थन शामिल है।

13. इसके अलावा, प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा पारित दिनांक 17.11.2025 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा दिनांक 14.11.2025 के अपने विस्तृत उत्तर में उठाए गए याचिकाकर्ता के किसी भी तर्क को प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है।

14. इसके बाद, हालांकि याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्षी संख्या-2 के समक्ष दायर अपील में इस आशय का एक विशिष्ट अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 14.11.2025 का उत्तर दायर किया गया था और यह प्रतिपक्षी संख्या-4 के कार्यालय में विधिवत प्राप्त हुआ था, लेकिन दिनांक 17.11.2025 का आदेश दिनांक 14.11.2025 के अपने उत्तर में उठाए गए याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार किए बिना पारित किया गया था। हालांकि, दिनांक 12.02.2026 के अपीलीय आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस आशय का एक विशिष्ट आधार अपनाए जाने के बावजूद, प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा दिनांक 12.02.2026 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस पर विचार नहीं किया गया है।



15. वास्तव में, प्रतिपक्षी संख्या-3 ने आक्षेपित आदेश में केवल 17.11.2025 के आदेश में प्रतिपक्षी संख्या-4 के निष्कर्षों को दोहराया है, यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी अपील में उठाए गए आधारों पर भी विचार किए बिना।

16. इसलिए, यह संदेह से परे है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 14.11.2025 के अपने विस्तृत उत्तर में उठाए गए तर्क पर विचार किए बिना भी आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं।

17. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि आक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 14.11.2025 के अपने जवाब में उठाए गए तर्कों पर विचार करने में विफल रहे हैं।

18. इसलिए रिट याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश क्रमशः 17.11.2025 और 12.02.2026 को रद्द कर दिया जाता है और मामले को प्रतिपक्षी संख्या-4 को वापस भेज दिया जाता है ताकि याचिकाकर्ता के विस्तृत उत्तर पर विचार करने के बाद नए सिरे से आदेश पारित किया जा सके, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-9 के रूप में संलग्न किया गया है और याचिकाकर्ता को तर्कपूर्ण और बोलने के आदेश के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, सख्ती से कानून के अनुसार, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से दो महीने की अवधि के भीतर।

मार्च 17, 2026

नदीम

(न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान) (न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)